आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

बी०एल०डी०आर० अपील वाद संख्या–116/2018

1. बिन्देश्वरी साह,

बनाम्

1. आलोक कुमार तिवारी,
2. प्रभा देवी,
3. गजाधार तिवारी,
4. रमेश कुमार तिवारी,
5. जय प्रकाश तिवारी,
6. विनीत कुमार तिवारी,
7. अमित कुमार तिवारी,
8. उमेश तिवारी,
9. पृतेश कुमार तिवारी,
10. राम अयोध्या राय,
11. मुन्ना तिवारी,
12. शिवजी तिवारी,
13. शंकर तिवारी,

उपस्थिति / प्रतिनिधित्व

अपीलकर्त्ता की तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, रविशंकर प्रसाद एवं दिलीप कुमार प्रसाद सिंह।

प्रतिवादीगण के तरफ से :–अनुपस्थित।

सरकार की ओर से :–विद्वान सरकारी अधिवक्ता, सारण, छपरा।

आदेश

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
25-10-2024 **06-11-2024**	**प्रस्तुत अपीलवाद, न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सोनपुर द्वारा भूमि विवाद वाद सं०–35 / 2017–18 में दिनांक–01.04.2018 को** पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्त्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। विवादित भूमि ग्राम+पो०–डुमरी बुजुर्ग, थाना–नयागॉव, अंचल–सोनपुर, जिला–सारण के अन्तर्गत खाता सं०–932, सर्वे सं०–2606, रकबा–0–5–2 धुर तथा सर्वे सं०–2607, रकबा 0–0–10 धुर की भूमि से संबंधित है। **अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार** प्रश्नगत भूमि पर अपीलकर्त्ता एवं उनके पिता के स्वत्व का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा Title Suit No-142/62 में किया जा चुका है तथा Title Appeal No.-76/67 में इसे	

WEB COPY NOT OFFICIAL

संपुष्ट भी किया जा चुका है। ऐसे में प्रश्नगत भूमि पर स्वत्व निर्धारण का कोई प्रश्न नहीं है। निम्न न्यायालय को प्रश्नगत भूमि का सीमाकंन कराते हुए अपीलकर्त्ता को उस पर दखल–कब्जा दिलाने हेतु दायर वाद को स्वीकृत करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा वाद के तथ्यों एवं B.L.D.R Act में वर्णित प्रावधानों पर विचार न करते हुए आदेश पारित किया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा केवल अनुमान के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो त्रुटियुक्त है, ऐसे में निम्न न्यायालीय आदेश को निरस्त करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकृत किया जाय।

प्रतिवादीगण को किए गए नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा के पत्रांक–371/विधि, दिनांक–13.02.2020 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रतिवादी सं०–6, विनीत कुमार तिवारी एवं प्रतिवादी सं०–7, अमित कुमार तिवारी के नोटिस पर **''बाहर रहते है''** **''मुलाकात नहीं हुआ''** अंकित किया गया है। प्रतिवादी सं०–13, श्री शंकर तिवारी, प्रतिवादी सं०–12, शिवजी तिवारी, प्रतिवादी सं0–5, जय प्रकाश तिवारी के नोटिस पर **''नोटिस पढ़कर लेने से इन्कार किया''** अंकित किया गया है। प्रतिवादी सं०–10, राम अयोध्या राय, प्रतिवादी सं०–8, उमेश तिवारी, प्रतिवादी सं०–09, पृतेश कुमार तिवारी, प्रतिवादी सं०–02 प्रभा देवी के पक्ष में उमेश तिवारी, प्रतिवादी सं०–03, गजाधर तिवारी के पक्ष में उमेश तिवारी, प्रतिवादी सं०–11, मुन्ना तिवारी के पक्ष में उनके पुत्र आयुष कुमार एवं प्रतिवादी सं०–04 रमेश तिवारी के पक्ष में उमेश तिवारी द्वारा नोटिस प्राप्त कर हस्ताक्षर किया गया है। पुनः इस कार्यालय के ज्ञापांक–164/भी०, दिनांक–20.06.2022 द्वारा प्रतिवादी सं०–01, प्रतिवादी सं०–06, प्रतिवादी सं०–10, प्रतिवादी सं०–05, प्रतिवादी सं०–04, प्रतिवादी सं०–03, प्रतिवादी सं०–07, प्रतिवादी स०–13, प्रतिवादी सं०–11 एवं प्रतिवादी सं०–09 को निबंधित डाक से नोटिस भेजा गया था, जो इस कार्यालय को वापस प्राप्त है।

इस प्रकार नोटिस जाने एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त रहने के बावजूद विपक्षीगण स्वय अथवा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए

WEB COPY NOT OFFICIAL

है और न ही उनके द्वारा अपना पक्ष ही प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलकर्त्ता मुसिफ–3, सारण, छपरा के समक्ष विपक्षीगण के पूर्वज को पक्षकार बनाते हुए Title Suit No.-142/62 दायर किया गया था, जिसमें अपीलकर्त्ता के पक्ष में डिक्री हुआ। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा हकियत अपीलवाद सं०–76/1967 दायर किया गया, जो द्वितीय अवर न्यायाधीश, सारण द्वारा सुनवाई के पश्चात् खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात् Title Suit No-142/62 में पारित डिक्री के आधार अपीलकर्त्तागण द्वारा Execution Case No-44/1967 दायर किया गया, जिसमें पारित आदेश के आधार पर वादी के भूमि से अतिक्रमण हटाते हुए उन्हे दखल–कब्जा दिलाया गया। इसी क्रम में अपीलकर्त्ता द्वारा D.C.L.R सोनपुर, सारण के समक्ष इस आशय का B.L.D.R वाद सं0–35/2017-18 दायर किया गया कि विपक्षीगण द्वारा उनके भूमि से पिलर को उखाड़कर अतिक्रमण कर लिया गया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट अंकित किया गया है कि **''प्रश्नगत भूमि के संबंध में वर्ष–1967 में ही इजराय वाद सं०–44/1967 द्वारा प्रश्नगत भूमि का सीमाकंन कराकर वादी को दखल–दहानी करा दिया गया था, तो आज पुनः व्यवहार न्यायालय के आदेश के आलोक में राजस्व न्यायालय द्वारा सीमाकंन कराना एवं दखल–दिलाने हेतु यह वाद लाया गया है। जब व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में दखल–दहानी का कार्य किया जा चुका है तो पुनः बेदखल होने की स्थिति में आवेदक को उसी न्यायालय में वाद लाया जाना चाहिए। राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना विधि सम्मत नहीं है।''**

उक्त के आधार पर विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि रैयती भूमि के ''Recovery of possession'' पर निर्णय लेने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ऐसे में निम्न न्यायालय द्वारा समुचित आदेश पारित किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना। विपक्षीगण को नोटिस तामिला कराये जाने एवं निबंधित डाक

WEB COPY NOT OFFICIAL

से नोटिस किए जाने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है, परन्तु विपक्षीगण द्वारा स्वयं अथवा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से भी अपना पक्ष नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में वाद की एक पक्षीय सुनवाई की गयी है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों के बीच T.A No-76/67 द्वारा भूमि का सीमांकन कराते हुए वादी को दखल–दहानी कराया जा चुका है। चूँकि रैयती भूमि के संबंध में ''Recovery of possession'' पर निर्णय लिया जाना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ऐसे में, पुनः बे–दखल होने की स्थिति में वादी द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त स्थिति के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा BLDR वाद सं०–35/2017–18 में दिनांक–01.04.2018 को पारित आदेश यथेष्ट है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अतएव उसे यथावत् रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत अपीलवाद को **खारिज** किया जाता है एवं इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL